भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 866
दिनांक 07 फरवरी, 2023 के लिए प्रश्न

लम्पी त्वचा रोग

866. श्रीमती अपराजिता सारंगी:
श्री हनुमान बेनीवाल:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को ओडिशा और राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में लम्पी त्वचा रोग के कारण बड़ी संख्या में गोवंश की मृत्यु की जानकारी है;
(ख) यदि हां, तो उक्त बीमारी के कारण मरने वाले गोवंश, गायों और अन्य पशुओं की ओडिशा और राजस्थान सहित राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;
(ग) ओडिशा सहित देश में गायों सहित अन्य पशुधन में पहली बार किन-किन स्थानों पर लम्पी त्वचा रोग का पता चला था;
(घ) क्या सरकार ने लम्पी त्वचा रोग से प्रभावित किसानों और पशुपालकों को निधि आबंटित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में ओडिशा सहित राज्य-वार कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है;
(ङ) क्या सरकार लम्पी त्वचा रोग को रोकने हेतु टीका बनाने की दिशा में अनुसंधान और विकास में निवेश करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो किए गए निवेश और ऐसे टीके को शुरू करने की रूपरेखा का ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या सरकार ने देश में उक्त लम्पी त्वचा रोग को रोकने के लिए राज्य सरकारों को कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो ओडिशा सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) और (ख): जी हाँ। मृत गोपशुओं का विवरण **अनुबंध-I** में संलग्न है।

(ग) शुरुआत में सितंबर, 2019 में ओडिशा से गोपशुओं में लंपी त्वचा रोग की सूचना मिली थी। स्थानों का विवरण **अनुबंध-I** में संलग्न है।

(घ) पशुपालन राज्य का विषय है। पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार के पास लंपी त्वचा रोग से प्रभावित किसानों और गोपशु स्वामियों को धन निधियां करने की कोई योजना नहीं है। हालांकि, विभाग रोग को नियंत्रित करने और उसकी रोकथाम करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है, जिसमें वित्तीय और तकनीकी सहायता शामिल है। वैक्सीन की खरीद के लिए उपलब्ध केंद्रीय हिस्से से निधियों का उपयोग करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों/दी गई अनुमति का विवरण **अनुबंध-II** में संलग्न है।

(ङ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) से एकत्र की गई जानकारी के अनुसार, आईसीएआर द्वारा गोपशुओं और भैंसों में उपयोग के लिए एक होमोलोगस लाइव एटेन्यूएटेड लंपी त्वचा रोग टीका विकसित किया गया है। तब से आईसीएआर द्वारा मैसर्स इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, हैदराबाद और मैसर्स बायोवेट प्राइवेट लिमिटेड, मलूर, कर्नाटक को वैक्सीन तकनीक दे दी गई है, और वैक्सीन अपने व्यावसायिक उत्पादन से पहले परीक्षण चरण में है।

(च): पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार ने टीकाकरण और उपचार सहित एलएसडी के नियंत्रण के लिए दिशा-निर्देश/परामर्शियां जारी की हैं और बीमारी की रोकथाम और नियंत्रण करने के लिए उन्हें ओडिशा सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परिचालित किया है।

******

अनुबंध-I

वर्ष 2022-23 के दौरान लम्पी त्वचा रोग (एलएसडी) से मरने वाले गोपशुओं तथा साथ ही एलएसडी के लिए टीकाकृत गोपशुओं का विवरण				
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**वह स्थान जहाँ पहली बार एलएसडी का पता चला था**	**एलएसडी के कारण मरने वाले जानवरों की संख्या**	**एलएसडी के लिए टीकाकृत पशुओं की संख्या**
1	गुजरात	अहमदाबाद	6193	6319005
2	हिमाचल प्रदेश	शिमला	11217	734830
3	पंजाब	फिरोजपुर	17932	921615
4	राजस्थान	जोधपुर	76030	10839126
5	उत्तराखंड	उधम सिंह नगर	921	696811
6	मध्य प्रदेश	अनूपपुर	696	3704903
7	जम्मू और कश्मीर	आखनूर	2698	1964241
8	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	655	15787400
9	हरियाणा	गुरुग्राम	2938	1736348
10	महाराष्ट्र	गडचिरोली	34711	14231372
11	गोवा	उत्तरी गोवा	1	21895
12	पश्चिम बंगाल	मेदिनीपुर	0	2600
13	आंध्र प्रदेश	पूर्वी गोदावरी	276	133886
14	दिल्ली	फतेहपुर	0	25067
15	बिहार	गया	4	9195419
16	तमिलनाडु	तिरुवल्लुर	1	121700
17	झारखंड	लोहरदगा	0	176274
18	कर्नाटक	बीदर	29717	10101343
19	तेलंगाना	विकाराबाद	70	3206369
20	केरल	मल्लापुरम	274	164782
21	छत्तीसगढ	बिलासपुर	0	2474
22	ओडिशा	कटक	111	4111500
23	सिक्किम	नामची	2	290
	कुल		**184447**	**84199250**

अनुबंध-॥

वर्ष 2022-23 के दौरान पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएचडीसीपी) के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी/अनुमोदित निधि का विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	टीके के खुराक की खरीद और टीकाकरण लागत के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी/अनुमति दी गई धनराशि
1	उत्तर प्रदेश	792.00
2	महाराष्ट्र	619.00
3	जम्मू और कश्मीर	1607.00
4	उत्तराखंड	80.33
5	पंजाब	1478.00
6	राजस्थान	312.00
7	गुजरात	2.25
8	छत्तीसगढ	93.70
9	पश्चिम बंगाल	478.8
10	त्रिपुरा	13.83
11	मध्य प्रदेश	67.20
12	हरियाणा	272.48
13	कर्नाटक	385.11
14	बिहार	685.97
15	आंध्र प्रदेश	153.90
16	मिजोरम	0.47
17	सिक्किम	6.9
18	हिमाचल प्रदेश	47.25
19	पुदुचेरी	4.01
20	असम	47.25
21	ओडिशा	249.56
22	गोवा	2.19
	कुल	**7399.20**